

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक:-प. 18(6)गृह-1/2017 पार्ट

जयपुर, दिनांक:- 15 FEB 2024

आज्ञा

इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 14.10.2022 द्वारा गठित राज्य स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति में सदस्य के रूप में नामित श्री गोपाराम मेघवाल, पूर्व विधायक, श्रीमती सुनीता भाटी एवं श्री अजीज दर्द, पाली के राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2008 की धारा 69(च) के अंतर्गत निरर्हित होने के कारण, राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 68(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त सदस्यगण को राज्य स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति के सदस्यपद से एतद् द्वारा तुरन्त प्रभाव से हटाया जाता है।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,




(जगवीर सिंह)

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. अति० मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री, गृह विभाग।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/शासन सचिव, गृह विभाग।
6. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
7. श्री एच. आर. कुडी, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति, जयपुर।
8. श्री गोपाराम मेघवाल पूर्व विधायक, श्रीमती सुनीता भाटी एवं श्री अजीज दर्द, पाली को जरिये अध्यक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।
9. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अस्तकता, सदस्य सचिव।
10. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।



संयुक्त शासन सचिव, पुलिस